

# 2024/30

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

विस्तृत

बनाम

सत्कार

प्रकरण संख्या :- 2023 30/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विरोध विवरण
	05/02/24	<p>पत्तावली तहसीलद्वारा भाषित के पलांक          अ. अ. / 2024/86 दि. 09/01/2024 द्वारा          प्रशासन गांव के संग का प्राप्त हुआ।          प्र. पत्ता दर्ज रजिस्ट्रार होवे। नोटिस जारी हो।</p> <p>पत्तावली वारन्ते तलाबी के दि.          13/02/24 को पेब हो।</p>	<p>विस्तृत अहकाम</p> <p>वि. नं. 15/2024/अ. 19/24</p>
	13/02/24	<p>पत्तावली तहसीलद्वारा उभयपक्ष          उपस्थित। उभयपक्ष के मुताबिक।          पत्तावली का अंशगत किया गया।          प्राप्ति का प्रमाण तहसीलद्वारा लिपि में          उल्लेखित के आधार पर साथ ही          से 'स्वीकार किया जाता है। बाकी मुनाया          गया। विस्तृत आदेश पत्र के लिए          गया। पत्तावली के मूल पुस्तक होकर          उभयपक्ष के समक्ष।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
आमेर, जिला- जयपुर

उप खण्ड अधिकारी  
आमेर जयपुर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :- 30/2024

जीसीएमएस नं० :- 2024/30


उनवान :- विकास बनाम सरकार

::- आदेश -::

दिनांक: 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ./2024/86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गोंवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा०पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम रूण्डल की जमाबंदी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 571 एवं 572 में विक्रांत पुत्र गोपाल के स्थान पर विकास उर्फ विक्रांत कुमार वर्मा पुत्र रामगोपाल वर्मा शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
आमेर, जिला जयपुर